

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 151-152 सीपीसी व 136 एलआर एक्ट 01 मु.नं.01 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

02.01.2019

यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व बज्जू से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र सनद दुरुस्ती बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। संलग्न आवंटन आदेश, जमाबन्दी की प्रति व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम RD 945 (R) तहसील बज्जू व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्बत् 2072 आधार में खातेदारी सनद खसरा नं. 145/18 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) खातेदारी सनद	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो खातेदारी सनद मे दर्ज की जानी है)
1	RD 945 (R)	$\frac{145}{18}$	किला नं. $\frac{24-25}{2} =$ 2 बीघा बाकी मांदा बदस्तूर जमाबंदी	किला नं. $\frac{23-24}{2} = 2$ बीघा बाकी मांदा मांदा बदस्तूर जमाबंदी

आदेश की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को भिजवाई जाये व आदेश की प्रति मूल आवंटन पत्रावली व मूल सनद के साथ संलग्न की जावे। पत्रावली आदेश में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

OR बज्जू न्यायालय अधिकारी  
10/2/19

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत